न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी (राज0)

पीठासीन अधिकारीः अतुल प्रकाश, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः 02/2019

उनवान

पुनिया पिता कचरिया भोई जाति भोई निवासी वाकावाडा तहसील गढी जिला बांसवाडा।

—: वादी

बनाम

(1) शंकर पिता लालजी भोई जाति भोई निवासी वाकावाडा तहसील गढी जिला बांसवाडा।

(3) तहसीलदार, गढ़ी जिला बांसवाड़ा।

—: प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 183, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांकः 18.03.2021

वादी की ओर से प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी के स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भुमि आराजी नम्बर 528 रकबा 0.26 एयर तथा 528/3815 रकबा 0.14 एयर भुमि वाके गांव वाकावाडा तहसील गढी जिला बांसवाडा मे स्थित होकर वादी इसका उपयोग और उपभोग करता चला आ रहा है। उक्त वर्णित सर्वे नम्बरान की भुमि पर वादी के अलावा किसी अन्य कोई हक एवं अधिकार नही है, परन्तु प्रतिवादी नम्बर 01 ने वादी की भुमि में आज से करीब 01 माह पुर्व अनाधिकृत प्रवेश कर नींव खोदकर पक्की नींव भर दी है। वादी को जानकारी मिलने पर रोकने गया तो प्रतिवादी नम्बर 01 लडाई झगडे पर उतारू होकर वादी को मारने दौड़ा। जिस पर वादी डरकर चला आया। प्रतिवादी नम्बर 01 द्वारा वादी की भुमि में अनाधिकृत प्रवेशकर अतिक्रमण कर नींव खोदकर पक्की नींव भर दी है जिसे अवैद्य घोषित कर उन्हे बेदखल किया जाना आवश्यक है। प्रतिवादीगण को वादी के स्वामित्व एवं आधिपत्य की भुमि से बेदखल करने हस्ब धारा 183 रा.का.अ. के तहत वादपेश हुआ।

वादी की ओर से प्रस्तुत वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण के नाम सम्मन जारी किये गये। प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से श्री मुकेश द्विवेदी, अभिभाषक का वकालातनामा पेश होकर जवाब प्रस्तुत होने पर प्रकरण में निम्नानुसार तनकियात कायम की गईः—

(1) आया वादी के स्वामित्व व आधिपत्य की कृषि भूमि खाता संख्या आराजी नम्बर 528 रकबा 0.26 हे0, आराजी नम्बर 528/3815 रकबा 0.14 हे0 भूमि वाके ग्राम वाकावाड़ा तहसील गढ़ी में स्थित होकर वादी उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करता आ रहा है।

—: वादी

(2) आया वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादी संख्या 01 के द्वारा अवैध अतिक्रमण कर नीव खुदाई कर मकान निर्माण का कार्य किया जा रहा है। जिसे बेदखल किया जाना आवश्यक है।

—: वादी

(3) आया वादी को वादग्रस्त भूमि के स्थित होने का ज्ञान नही है। वादी ने मनमाने तोर पर बिना वाद कारण के वाद पेश किया है। वादी द्वारा प्रतिवादी को बेदखल करने धारा 183 में वाद पेश किया गया है। इसी वाद में धारा 188 में प्रतिवादी के विरूद्व रिलीफ चाही है। वादी उक्त वाद में धारा 183 व 188 दोनो में रिलीफ एक साथ प्राप्त करने का अधिकारी नही है। वादी का वाद विधि विरूद्व होने से आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के तहत निरस्ती योग्य है।

—: प्रतिवादी

(4) अनुतोषः—

पत्रावली वादी की साक्ष्य हेतु नियत की जाने पर वादी साक्ष्य के रूप में श्री पुनिया पिता कचरिया का शपथ—पत्र पेश होकर पत्रावली वास्ते जिरह नियत की गई। वादी के साक्षी के जिरह हेतु उपस्थित नही होने पर वादी की जिरह बन्द की जाकर पत्रावली प्रतिवादी की साक्ष्य हेतु नियत की जाने पर प्रतिवादी अभिभाषक को कई अवसर दिये जाने के उपरान्त भी साक्ष्य प्रतिवादी पेश नही होने पर प्रतिवादी की साक्ष्य बन्द की जाकर प्रकरण में बकुलाय की बहस सुनी गई। प्रकरण में कायम की गई तनकियात निम्नानुसार निर्णित की जाती हैः—

Signature Not Verified
Digitally signed by Atul Prakash
Date: 2021.04.12 16:08:31 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

तनकी संख्या 01 को सिद्ध करने का भार वादी का है, वादी द्वारा वाद के समर्थन में प्रस्तुत खाता संख्या 285 (नई) 244 (पुरानी) संवत 2070 से 2073 की जमाबन्दी अनुसार खातेदार दर्ज होने से उक्त तनकी वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 02 को सिद्ध करने का भार वादी का है, वादी द्वारा प्रस्तुत वाद एंव साक्ष्य के समर्थन में ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया है, जिससे यह साबित हो सके की वादी की खातेदारी भूमि पर प्रतिवादी द्वारा निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। अतः उक्त तनकी वादी के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 03 को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी का है, प्रतिवादी द्वारा अपने जवाब में वादी को अपनी खातेदारी भूमि का ज्ञान नही होने तथा वादी की भूमि पर प्रतिवादी द्वारा किसी प्रकार का निर्माण कार्य नही किया जाने का कथन किया हैं। इसके विरूद्ध वादी द्वारा अपनी खातेदारी भूमि में प्रतिवादी द्वारा निर्माण करने व कब्जा करने का कोई दस्तावेज पेश नही किया गया है। धारा 188 कब्जा होने पर व धारा 183 कब्जा प्राप्त करने हेतु वाद प्रस्तुत किये जाने होते हे जो कि परस्पर विपरीत है किन्तु आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. का प्रार्थना–पत्र किसी भी मापदंड पर सही नही बैठता है। अतः उक्त तनकी आंशिक रूप से प्रतिवादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

प्रकरण में बकुलाय की बहस पर मनन् करने एंव वादी की ओर से प्रस्तुत वाद, खाता संख्या 285 (नई) 244 (पुरानी) संवत 2070 से 2073 की जमाबन्दी तथा प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत जवाब का अवलोकन किया जाकर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहूँचा हैं कि वादी द्वारा अपने खातेदारी भूमि में प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा निर्माण कार्य किये जाने एंव कब्जा करने के क्रम में कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है एंव न ही जिरह हेतु उपस्थित हुऐ। अतः वादी की ओर से प्रस्तत वाद वादी के विरूद्ध निर्णित किया जाता है।

(अतुल प्रकाश)IAS
उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी

आदेश

वादी की ओर से प्रस्तत वाद वादी के विरूद्ध निर्णित किया जाकर इस आशय की डिक्री पृथक से जारी की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 12.04.2021 को जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Atul Prakash
Date: 2021.04.12 16:08:31 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner